IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Letters Patent Appeal No.342 of 2019
In
Civil Writ Jurisdiction Case No.2200 of 2002

==

Dinesh Mahto S/o Late Shiv Narayan Mahto Vill.- Dawan Tola, P.s. and Distt.- Khagaria

... ... Appellant/s

Versus

1. The State of Bihar and Ors Bihar
2. The Engineer-in-Chief-cum-Special Secretary Department of Public Public Health and Engineering, Govt. of Bihar
3. The Executive Engineer Public Health and Engineering Division, Khagaria

... ... Respondent/s

==

Appearance :

For the Appellant/s	:	Mr. Sheel Bhadra Jha, Adv.
		Mr. Yash Raj Singh, Adv.
For the Respondent/s	:	Mr. S. Raza ahmad (AAG 5)

==

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE P. B. BAJANTHRI
and
HONOURABLE MR. JUSTICE S. B. PD. SINGH
ORAL JUDGMENT
(Per: HONOURABLE MR. JUSTICE P. B. BAJANTHRI)

Date : 17-04-2025

Pursuant to the direction of this Court, the Engineer-In-Chief-cum-Special Secretary, Department of Public Health & Engineering, Government of Bihar has deputed Mr. Saroj Kumar – Executive Engineer, P.H. Division, Khagaria who has appeared in person.

2. The appellant has assailed the order of the learned Single Judge, dated 06.12.2017, passed in CWJC No. 10994 of 2012.

WEB COPY

3. The appellant's father was working as a work charge employee in the pay scale of 155-1-160-2-190. He had rendered service from the year 1963 to 30th October, 1990. It is undisputed that he had been extended annual increment from time to time. This is evident from the State Government resolution dated 30th November, 1972. Unfortunately, appellant's father died while he was in service on 30th October, 1990. Thereafter, the appellant was appointed on compassionate ground on 30th October, 1993 and continue to serve as *Nalkoop Khallasi*. His services have been displaced on 09.07.2001. The appellant has invoked remedy before this Court in filing CWJC No. 2200 of 2002 and it was decided on 12.10.2018. The learned Single Judge has proceeded to draw inference that scheme of compassionate appointment of dependents of the deceased work charge employee working under work charge establishment are not entitled for compassionate appointment. Feeling aggrieved by the order of the

WEB COPY

learned Single Judge dated 12.10.2018, the present LPA has been filed.

4. Learned counsel for the appellant submitted that having regard to the status of his father that he was drawing a particular pay-scale from the year 1963 and he has been extended annual increment from time to time till his death on 30th October, 1990. Therefore, one has to draw inference that appellant's father was regular holder of the post. Therefore, a decision of the authorities read with the Single Judge order is contrary to resolutions dated 30th November, 1972 of the State Government insofar as extending annual increment to such of those work charge employee of pay-scale to work charge employee. Resolution dated 30th November, 1972 provides extending of pay-scale to work charge employee. Therefore, decision of the respondents and Single Judge that compassionate appointment is not permissible insofar as such of those work charge employee died while he was in service.

WEB COPY

5. Learned counsel for the respondent submitted that appellant is not entitled to earn the benefit of compassionate appointment in the light of the fact that appellant's father was work charge employee and he is not a regular holder of the post in the State Government. In support of such contention, learned counsel for the respondent is relying on Co-ordinate Bench decision in the case of **Dilip Kumar Bhattacharya & Ors**. vs. the **State of Bihar and Ors**., dated 24th November, 2004, passed in **LPA 897 of 2004** and connected matter and **State of Bihar & Ors.** vs. **Vivekananda Singh and Anr.,** dated 3rd December, 2008 passed in **LPA 286 of 2007** and Full Bench decision in **LPA No. 166 of 2018**, passed on 04.02.2019.

6. In this backdrop, core question for consideration in the present *lis* is whether work charge employee die while he was in service, in that event, his legal heirs are entitled to compassionate appointment or not? The official respondent decision, learned Single Judge decision, they

WEB COPY

have not apprised in not taking note of resolution dated 30th November, 1972 to the extent of extending annual increment and extending a particular pay-scale of Rs. 155-1-160-2-190. It is necessary to reproduce resolution dated 30th November, 1972 and it treats as under:-

" क

सं० 3/पी० आर० जी० 2-01/72-14636-वि०
बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प
30 नवम्बर 1972

विषय ।-राज्य सरकार के सेवकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण।

तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर सावधानतापूर्वक विचार करने के बाद राज्य सरकार ने विनिश्चय किया है कि सरकार के अधीन विभिन्न राजपत्रित पदों के वर्तमान वेतनमानों को अनुलग्न अनुसूची 1 में यथादर्शित रूप में पुनरीक्षित कर दिया जाय ।

2. ये पुनरीक्षित वेतनमान राज्य सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो 1 जनवरी 1971 की सेवा में थे, तथा उन सभी नयी नियुक्तियों अथवा प्रोन्नतियों पर लागू होंगे, जो उक्त तारीख को या उसके बाद प्रभावों हुए हों, परन्तु ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामलों में,

WEB COPY

जो 1 जनवरी 1971 को निलम्बित थे या छुट्टी परनतु पुनरीक्षित वेतनमान उन कर्मचारियों को तब तक रखने का विकल्प (औप्सन) दिया है जब तक कि वे उन पदों को छोड़ते नहीं हैं अथवा उस कालमान में वेतन लेना बंद नहीं कर देते हैं । ऐसे सरकारी सेवक द्वारा वर्तमान पद से अवकाश में जाने पर या किसी दूसरे पद पर स्थानापत्र प्रोन्नति होने पर या उसी श्रेणी के किसी दूसरे पर पद स्थानान्तरण होने पर उस पद को छोड़ा जाना या उस पद के कालमान में वेतन लेना बंद होना नहीं समझा जाएगा । विकल्प लिखित रूप से इस संकल्प की अनुसूची 5 के साथ संलग्न विवरण 'घ' में देना होगा । इस संकल्प के निर्गत होने के 60 दिनों के अंदर वर्तमान वेतनमान में रहने का विकल्प दे देना होगा, परन्तु इस संकल्प के निर्गत होने की तिा को जो कर्मचारी छुट्टी पर हैं, अथवा प्रतिनियुक्त हैं, अथवा बाह्य सेवा में हैं अथवा निलम्बित हैं उसे गजट में संकल्प के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर विकल्प देने की छूट होगी । अराजपत्रित कर्मचारी अपना लिखित विकलप अपने कार्यालय प्रधान को प्रस्तुत करेंगें एवं राजपत्रित कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष को सूचित करते हुए महालेखाकार, बिहार को लिखित विकल्प प्रस्तुत करेंगे । एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जायगा । बिहार सेवा-संहिता के नियम 82 के उपबन्धों को तदनुसार संशोधित समझा जायगा । ऐसे सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान वेतनमान में रहना चाहते हैं उन्हें वर्तमान दर पर जीवन-यापन भत्ता

WEB COPY

अनुमान्य होगा किन्तु कोई अन्तरिम सहायता अनुमान्य नहीं होगा । 1 जनवरी, 1971 से विकल्प की तिथि तक निकासी की गयी अन्तरिम सहायता की राशि जिस महीना में विकल्प दिया गया है उसके ठीक बाद के महीना से यथासंभव बारह बराबर माहवारी किश्तों में वसूल कर ली जायगी ।

3. सरकार द्वारा यथा अनुमोदित पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया विनियमित करने वाले अनुदेश अनुसूची 4 में दिये गये हैं । ये अनुदेश उन पर लागू होंगे, जो 1 जनवरी, 1971 को सेवा में थे । उस सरकारी सेवक की, जिसका वेतन इस प्रकार पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित किया गया है, अगली वेतन वृद्धि, उस वेतनमान में उसी तारीख से मंजूर की जायेगी, जिस तारीख को वह वर्तमान वेतनमान में अपनी वेतन वृद्धि पाता । द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के लागू होने के बाद दक्षता-रोध पार करने के संबंध में सरकार ने वित्त विभाग के अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या सं० पी० आर० जी० 2-85/65-859-एफ० 2, दिनांक 18 सितम्बर 1965 के जरिए, महालेखाकार, बिहार को जो स्पष्टीकरण भेजा है, वह पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू रहेगा ।

4. केवल उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने कंडिका 2 में बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार वर्तमान वेतनमान में रहने का लिखित विकल्प दिया है, अन्य सभी कर्मचारियों के

WEB COPY

जनवरी, 1973 में भुगतेय मास दिसम्बर, 1972 के वेतन बिल, पुनरीक्षित वेतनमान में, अनुसूची 5 में बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार, तैयार किये जायेंगे ।

5. पुनरीक्षित वेतनमान में 1 जनवरी, 1971 से, अथवा छुट्टी पर गये या निलम्बित या अन्यथा कर्तव्य पर नहीं हरने वाले सरकारी सेवकों की दशा में बाद की तारीख से, वेतन का निर्धारण हो जाने पर, न तो जीवन-यापन भत्ता अनुमान्य होगा और अन्तरिम सहायता । 1 जनवरी, 1971 से आगे वेतन, अन्तरिम सहायता और जीवन-यापन भत्ता के रूप में जिस रकम की निकासी कर ली गयी है, उसे उस प्रथम बिल से समायोजित कर लिया जायेगा जिसमें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन के बकाये की निकासी की जायगी । 1 जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि के दौरान वर्तमान वेतनमान में वेतन, अन्तरिम सहायता और जीवन-यापन भत्ता के रूप में जिस रकम की निकासी कर ली गई है, उसके समायोजन के बाद 1 जनवरी, 1971 से 31 मार्च 1972 तक पुनरीक्षित वेतनमान जो बकाया देय होगा उसे संबंधित सरकारी सेवक के सामान्य भविष्य निधि लेखे में अन्तरिम और जमा कर दिया जायगा । 1 अप्रैल, 1972 में पुनरीक्षित वेतनमान में अन्तरिम सहायता और जीवन-यापन भत्ता आदि का समान रूप से समायोजन कर लेने के बाद, जो बकाया देय होगा, वह नकद रूप में भुगतेय होगा, जब तक कि कोई सरकारी सेवक विनिर्दिष्ट रुप से यह इच्छा व्यक्त नहीं करें कि

WEB COPY

यह बकाया उसकी सामान्य भविष्य निधि में जमा कर दिया जाय । 1 अक्टूबर, 1970 से 31 दिसम्बर, 1970 तक निकासी की गयी अन्तरिम सहायत की वसूली नहीं की जायगी ।

6. दिनांक 1 जनवरी, 1971 के बाद किन्तु इन आदेशों के जारी किये जाने के पूर्व की गयी सरकारी सेवकों की नयी नियुक्तियों के सभी मामलों में, अथवा 1 जनवरी, 1971 के बाद किन्तु इन आदेशों के जारी किये जाने के पूर्व की गयी मूल या स्थानापत्र प्रोन्नतियों के मामले में, नियुक्ति/प्रोन्नति पुनरीक्षित वेतनमान में की गयी मानी जायेगी और वैसे सरकारी सेवक का वेतन, पुनरीक्षित वेतनमान में, बिहार सेवा-संहिता के वर्तमान नियमों तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, निर्धारित किया जायेगा । ऐसे मामलों में भी, वर्तमान वेतनमान में निकासी किया गया वेतन, अन्तरिम सहायता और जीवन-यापन भत्ता का समायोजन प्रथम बकाया वेतन बिल में उसी रीति से किया जायगा और ऊपर कंडिका 5 में बताया गया है । यदि पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप, पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन, वर्तमान वेतनमान में मिलने वाली कुल उपलब्धियों (अर्थात्, वेतन, जीवन-यापन भत्ता और अन्तरिम सहायता) की अपेक्षा कम हो जाय, तो कुल वर्तमान उपलब्धियों और पुनरीक्षित वेतनमान में अनुमान्य वेतन में जो अंतर होगा, वह ह्रास्य (Reschedulable) वैयक्तिक वेतन के रूप में देय

WEB COPY

होगा । फिर भी, ऐसे मामलों में वैयक्तिक वेतन के संबंध में विनिर्दिष्ट आदेश संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रत्येक मामले में अपने आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से निर्गत किया जाय ।

7. दिनांक 1 जनवरी, 1971 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने के फलस्वरूप बिहार सेवा-संहिता के परिशिष्ट 6 का अनुबद्घ "क" 1 जनवरी, 1971 से अवक्रमित किया जाता है और इस संकल्प से अनुलग्न अनुसूची 6 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है । किसी निम्नस्तर पद से उच्चस्तर पद पर प्रोन्नति होने पर वेतन के निर्धारण के संबंध में सम्प्रति प्रवृत्त सभी नियम/आदेश अगले आदेश तक प्रभावी बने रहेंगे ।

8. राज्य-सेवाओं के विभिन्न राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्गों में कई प्रवर कोटि के पदों का उपबन्ध किया गया है । तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप राज्य सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि कतिपय मामलों में वर्तमान प्रवर कोटि पदो की संख्या बढ़ा दी जाय/समाप्त कर कदया जाय और कतिपय अन्य मामलों में जिनके लिये सम्प्रति प्रवर कोटि के पद नहीं है, नये प्रवर कोटि के पद बनाये जाय । अनुलग्न अनुसूची 2 में प्रवर कोटि के पदों का, जैसा कि सरकार ने अब अनुमोदित किया है, ब्यौरा दिया हुआ है । इसके संबंध में किये गये किसी प्रत्यायोजन के अध्यधीन, संबंधित प्रशासी विभाग, वित्त

WEB COPY

विभाग के परामर्श से, अनुसूची 2 में अन्तर्विष्ट विनिश्चय के आधार पर 1 जनवरी, 1971 से वर्तमान प्रवर कोटि पदों के बढ़ाने/समाप्त करने तथा/अथवा नये प्रवर कोटि पदों के सृजन की कार्रवाई करेंगे । प्रवर कोटि के पद, संवर्ग को वर्तमान स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त नहीं होगें, बल्कि संवर्ग के वर्तमान पदों के संपरिवर्तन द्वारा सृजित किये जायेंगे । प्रवर कोटि के पदों की संख्या स्थायी या अस्थायी आधार पर 1 जनवरी, 1971 को किसी संवर्ग के मंजूर पदों की संख्या के आधार पर निकाली जायगी । सवंर्ग के वर्तमान स्थायी/अस्थायी पदों के संपरिवर्तन द्वारा मंजूर किये जाने वाले प्रवर कोटि के पद जिन स्थायी या अस्थायी पदों के संबंध में वे उपबन्धित किये जायेंगे, उनके अनुसार स्थायी या अस्थायी आधार पर होंगे । किसी संवर्ग में उपलब्ध प्रवर कोटि के पदों की वास्तविक संख्या का पुनरीक्षण प्रति वर्ष 1 अप्रैल को संवर्ग में पदों की मंजूर संख्या के आधार पर किया जायेगा । ऐसा प्रथम पुनरीक्षण 1 अप्रैल 1972 को किया जाय ।

9. पुनरीक्षित वेतनमान के लाभ कर्मभारित स्थापनओं के सदस्यों तथा पूर्णकालिक नियोजन वाले आकस्मिक स्टाफ एवं काल वेतनमान में पद धारण करने वालों को मिलेंगे ।

10. ये आदेश जहां ठेके में अन्यथा उपबन्धित हो उसे छोड़ कर, ठेके पर नियोजित सरकारी सेवकों पर तथा जो पूर्णकालिक रूप से नियोजित नहीं हैं उन पर लागू नहीं होंगे ।

11. ऐसे मामले हो सकते हो जिनमें निमत,

WEB COPY

समेकित वेतन दरों या काल वेतनमान वाले पदों के लिये सममुचित वेतनमान नियत करना संभव न हो सका हो । विभागों को सलाह दी जाती है कि ये विहित योग्यताओं, कर्त्तव्यों के स्वरूप अनुसारी पुनरीक्षित वेतनमान और अन्य सुसंगत तथ्यों के आधरर पर ऐसे प्रत्येक मामले की परीक्षा करें और वित्त विभाग के परामर्श के लिये भेजें । जब तक ऐसे मामलों पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मौजूदा पदधारी वर्तमान दरों पर वेतन, भत्ते और अन्तरिम सहायता लेते रहेंगे ।

12. जिन अराजपत्रित सरकारी सेवकों का वेतन तीन वर्षों या इससे अधिक समय से काल वेतनमान के अधिकतम पर रूद्ध हो जाये उनके संबंध में वेतनवृद्धि के मौजूदा आदेश पुनरीक्षित वेतनमान में लागू रहेंगे । जिन मामलों में पुनरीक्षित वेतनमान में अधिकतम प्रक्रम पर वेतन नियत किया गया हो और किसी कर्मचारी को उपलब्धियों की कमी की रक्षा के लिये वैयक्तिक वेतन मंजूर किया गया हो, उनमें ऐसे वैयक्तिक वेतन को संबंधित कर्मचारी द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में अर्जित रूद्ध वेतन-वृद्धि में आमेलित कर दिया जायगा ।

13. किसी पद के संबंध में मौजूदा आदेशों के अधीन अभी जो विशेष वेतन मिल रहा है वह तत्काल औपबन्धिक आधार पर तब तक मिलता रहेगा जब तक कि इस विषय में समिति की सिफारिश पर सरकार अन्तिम निर्णय नहीं ले लेती । सरकार के सहायक सचिव, विधान-मंडल

WEB COPY

के प्रवर कोटि के रिपोर्टरों, उच्च न्यायालय के द्वितीय सहायक रजिस्ट्रार, प्रशासनिक प्रशिक्षण स्कूल, रांची के अर्थशास्त्र के वरीय प्राध्यापक तथा कारखानों के उप-मुख्य निरीक्षकों के मामलों में 1 जनवरी, 1971 से विशेष वेतन अनुज्ञेय नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा विशेष वेतन को पुनरीक्षित वेतनमान में विलयित कर दिया गया है । इन पांच मामलों में, वेतन निर्धारण नियमावली के अनुसार विशेष वेतन लिया जा चुका है उनमें उसे उसी रीति से पुनरीक्षित वेतनमान में देय बकायों के साथ समंजित कर दिया जाय जिस रीति से वेतन, अन्तरिम सहायता और जीवन-निर्वाह भत्ता को समंजित करना है ।

14. वेतनमान के पुनरीक्षण के अलावा, सरकार ने वेतन पुनरीक्षण समिति को अन्य सिफारिशों पर विचार किया है और उन पर निर्णय लिये हैं । ऐसे निर्णय इस संकल्प से उपाबद्घ अनुसूची 3 में समाविष्ट किय गये हैं । संबंधित विभागों से अनुरोध है कि वे उन पर आवश्यक कार्रवाई करें और आवश्यकता पड़ने पर वित्त विभाग के परामर्श से आदेश जारी करें ।

15. सरकार के विभागों से अनुरोध है कि वे अनूसची 1, 2 और 3 में दिये गये ब्यौरों में पाये गये किसी लोप, भूल या असंगति की जानकारी वित्त विभाग को करायें ताकि उसका सुधार किया जा सके और/या उस पर दूसरी उचित कार्रवाई की जा सके ।

WEB COPY

16. सरकारी आदेश संख्या पी०आर०जी० 2-2-65---564 एफ० 11, तारीख, 6 अगस्त, 1965 की कंडिका 6 में सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में काम करने वाले अनुसचिवीय सरकारी सेवकों को मंजूर प्रेरणा भत्ता 1 दिसम्बर, 1972 से समाप्त कर दिया जायगा ।

17. शिक्षा संबंधी लाभों से संबंधित मौजूदा आदेश लागू रहेंगे । 1 दिसम्बर, 1972 से मिड्लि, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक वर्गों के समान स्तरों वाली तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थाओं में अध्ययन करने वाले बालकों-बालिकाओं के संबंध में भी प्रतिपूर्ति अनुज्ञेय होगी साथ-साथ 1 दिसम्बर, 1972 से मिड्लि/ माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक बोर्डों द्वारा संचालित परीक्षाओं से संबंधित परीक्षा शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायगी ।

18. सरकार ने आगे यह निर्णय किया है कि भविष्य में सरकारी सेवकों को दी जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा केवल अन्तर्वासी रोगियों तक निबंधित रखी जाय और यह बाहरी इलाज के लिये न दी जाय । इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रसंगत नियम संशोधित करने की कार्रवाई की जायगी ।

19. सरकार ने आगे यह निर्णय किया है कि 1 जनवरी, 1971 से सरकारी क्वार्टरों में रहने के निमित्त सरकारी सेवकों से निम्नलिखित दरों पर किराया लिया जायगा:-

WEB COPY

पुनरीक्षित वेतनमान में (विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन सहित निम्नलिखित वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों से ------	लिया जाने वाला किराया ।
(i) 204 रु० से अनधिक	कुछ नहीं ।
(ii) 204 रू० से अधिक किन्तु 400 रू० से अनधिक	मानक किराया या उपलब्धियों (बिहार सेवा संहिता के नियम 132 में यथापरिभाषित) का 3, 5 प्रतिशत, जो कम हो ।
(iii) 400 रू० से अधिक किन्तु 940 रू० से अनधिक	मानक किराया या उपलब्धियों (बिहार सेवा संहिता के नियम 132 में यथापरिभाषित) का 7.5 प्रतिशत, जो कम हो ।
(iv) 940 रू० से अधिक	मानक किराया या उपलब्धियों (बिहार सेवा संहिता के नियम 132 में यथापरिभाषित) का 10 प्रतिशत, जो कम हो।

20. राज्य सरकार ने, मौजूदा वेतनमान के साथ जीवन-यापन भत्ता के विलयन और पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप मकान भाड़ा भत्ता की दरों के संशोधन के प्रश्न पर विचार किया है और यह निश्चय किया गया है कि सरकारी संकल्प संख्या पी०आर०जी० 2-2-65---67 एफ० 2, तारीख 10 मार्च, 1965 की कंडिका 13 में उल्लिखित मकान भाड़ा भत्ता की दरों को परिवर्तित करते हुए सरकारी क्वार्टर के पास किसी ऐसे सरकारी सेवक को, जिसे सरकारी क्वार्टर नहीं मिला है और जो भाड़े पर स्वयं कोई प्राइवेट मकान लेकर रह रहा हो 1 जनवरी, 1971 से निम्न दर से मकान भाड़ा भत्ता दिया जाय:-

WEB COPY

(क) पटना और गया में पदस्थापित सरकारी सेवकों के लिये ---

पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन ।		भत्ते की राशि ।
		रू०
230 रू० वेतन तक	.. .. ..	3.00
230 रू० वेतन से अधिक, किन्तु 260 रू० से अनधिक	..	4.00
260 रू० वेतन से अधिक, किन्तु 315 रू० से अनधिक	..	5.00
315 रू० वेतन से अधिक, किन्तु 340 रू० से अनधिक	..	6.00
340 रू० वेतन से अधिक, किन्तु 400 रू० से अनधिक	..	7.50

(ख) धनबाद और दालभूम अनुमंडल में पदस्थापित सरकारी सेवकों के लिये

पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन ।		भत्ते की राशि ।
204 रू० वेतन तक	.. .. ..	3.00
204 रू० वेतन से अधिक, किन्तु 230 रू० से अनधिक	..	4.50
230 रू० वेतन से अधिक, किन्तु 260 रू० से अनधिक	..	6.00
260 रू० वेतन से अधिक, किन्तु 315 रू० से अनधिक	..	7.50
315 रू० वेतन से अधिक, किन्तु 340 रू० से अनधिक	..	9.00
340 रू० वेतन से अधिक, किन्तु 400 रू० से अनधिक	..	11.00
400 रू० वेतन से अधिक, किन्तु 940 से अनधिक		वेतन के 7.5 प्रतिशत से अधिक वस्तुत: चुकायी गयी रकम जिसकी अधिकतम सीमा वेतन के 7.5 प्रतिशत तक होगी।
940 रू० वेतन से अधिक		वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक, वस्तुत: चुकायी गयी रकम जिसकी अधिकतम सीमा वेतन के 10 प्रतिशत तक होगी।

21. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि नि:शुल्क आवास की सुविधा या नि:शुल्क आवास के एवज में मकान किराया भत्ता को सुविधा से संबंधित सभी वर्तमान आदेश प्रभावी रहेंगे ।

22. राज्य सरकार ने, जी० ओ० संख्या ए०-1301-71–

WEB COPY

6874 एफ०, तारीख 24 जुलाई, 1971 के द्वारा पटना में पदस्थापित ऐसे सरकारी सेवकों के लिये जिनका मूल वेतन प्रतिमास 410.00 रू० से अधिक नहीं था, प्रतिमास 5 रू० का दर से नगर क्षतिपूरक भत्ते (सामान्त समंजन के साथ) की मंजूरी दी थी । यह निर्णय लिया गया है कि पटना में पदस्थापित ऐसे कर्मचारियों को जिनका पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन प्रतिमास 620 रू० से अधिक नहीं है उनकी 5 रू० प्रतिमास की दर से (सामान्त समंजन के साथ) नगर क्षतिपूरक भत्ता अनुमान्य होगा ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन जानकारी के लिये "बिहार गजट" में कर दिया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

निशिकान्त सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव ।"

7. This crucial document has not been taken note of by the official respondents while displacing the services of the appellant on 09.07.2001. Similarly, the learned Single Judge did not have an occasion to summon for the records relating to whether work charge employee is entitled to annual increment read with is he entitled to particular pay-scale or not so as to determine whether

WEB COPY

work charge employee is a regular holder of the post in the department or not. We have undertaken such exercise by virtue of our previous order. Today, learned counsel for the Respondent - State Mr. S. Raza Ahmad furnished sixth supplementary counter affidavit on behalf of respondent Nos. 2 & 3 along with this Annexure – R3/B which has been extracted (supra) would change the material of the case. At this stage, it is necessary to take note of that the learned counsel for the respondent Mr. S. Raza Ahmad relied on two Co-ordinate Bench decisions cited (supra) read with Full Bench decision.

8. In all the aforementioned three decisions, there was no occasion for the Co-ordinate Bench and Full Bench to take note of crucial document namely, resolution dated 30th November, 1972 which determines that work charge employee is entitled to have the benefit of annual increment from time to time and further he is entitled to a particular pay-scale, namely, 155-1-160-2-190. This resolution dated 30th November, 1972 would change the

WEB COPY

status of the work charge employee to that of regular holder of the post in the Government. If the appellant's father who was holding the work charge employee and died while he was in service, in that event, he died with status of permanent employee. If the permanent employee died while he was in service, in that event, his legal heirs are entitled to compassionate appointment. Therefore, there was no infirmity in the order of appointment issued to the appellant on 30th October, 1993 and there is a series lacunae in the decision dated 09.07.2001 by which, appellant has been displaced without examining resolution dated 30th November, 1972 and the fact that appellant's father was holding permanent and regular post as a Government servant. It is to be noted that regular holder of the post is entitle to pay scale and increment from time to time. On the other hand, *Adhoc* employee is entitle to consolidate pay. Thus, there is difference between regular holder of the post and *Adhoc* employee. In the light of these facts and

WEB COPY

circumstances, the appellant has made out a case so as to interfere with the official respondents' decision dated 09.07.2001 which is the subject matter of CWJC 2200 of 2002 decided on 12.10.2018, they are set-aside.

9. The appellant is entitled to reinstatement with all service and consequential benefits. The same shall be extended within a period of three months from the date of receipt of this order. The appellant shall be reinstated into service within a period of 15 days from the date of receipt of this order or production of this order on behalf of the appellant before the Executive Engineer.

10. With the above observation, the present LPA No. 342 of 2019 stands allowed.

(P. B. Bajanthri, J)

(S. B. Pd. Singh, J)

Niraj/Sudhanshu

AFR/NAFR	AFR
CAV DATE	NA
Uploading Date	24.04.2025
Transmission Date	NA

WEB COPY